तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील 06/2015 त्रिलोकचन्द बनाम प्यारेलाल
23.02.2018	आज पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के वकील कोई उपस्थित नहीं। अपीलान्ट एवं वकील को कई बार बार–बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु न तो अपीलान्ट उपस्थित हुए और न ही उनके वकील उप0 आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन गतादेशिका दिनांक 30.11.2017 की रोशनी में वकील अपीलान्ट श्री कृष्ण कुमार सिंघल द्वारा अपीलान्ट की ओर से कोई हिदायत पैरवी नहीं के हस्ताक्षर आदेशिका पर पाये गये। न्यायहित में नोटिस भी अपीलान्ट को जारी किये गये है। किन्तु दिनांक 30.11.2017 से आज दिनांक तक प्रकरण में न तो अपीलान्ट उप0 हुए और न ही उनके वकली उप0 हुए है। अपीलान्ट का यह रवैया उनकी केस को आगे न चालाये जाने की दिलचस्पी को दर्शाता है। जब अपीलान्ट स्वंय अपनी अपील में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे है तो इस प्रकरण को अब और आगे चलाये जाने का कोई औचितय नहीं रहता है। लिहाजा यह प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official